

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(ROAD/34657)2024 / एफसीए / प्रमुखसं / 917

दिनांक 13/5/26

विशिष्ट शासन सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
राजस्थान सरकार,  
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:-चौराखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुरा सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में।

Proposal No. FP/RJ/Road/34657/2024(1.872 Ha)


संदर्भ:-राज्य सरकार के राजकाज नम्बर 22081850 दिनांक 08.05.2026 से जारी EDS के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आलोच्य प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.05.2026 को EDS जारी किया गया था, जिसके क्रम मुख्य वन संरक्षक कोटा एवं उप वन संरक्षक, बांरा द्वारा जवाब प्रेषित किया गया है। (प्रति संलग्न) उक्त जवाब से यह कार्यालय सहमत है। अतः प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया

  
(टी. जे. कविथा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर,

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2025-26/3570

दिनांक: 13/5/26

निमित्त:-

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी एफसीए  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 1.872 ha. Forest land in favour of construction of road  
chorakhari to nayagoun via maheshpur.  
FP/RJ/ROAD/34657/2018.

संदर्भ:- आप द्वारा परिवेश पोर्टल 1.0 पर लगाए गए ई0डी0एस0 दिनांक 11.05.2026  
एवं उप वन संरक्षक, बारां का पत्रांक 7263 दिनांक 12.05.2026 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव  
चोराखेडी से नयागांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव  
संख्या FP/RJ/ROAD/34657/2018 (1.872) के संबंध में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट  
(Site inspection report) (प्रति संलग्न) सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(सोनल जोरिहार)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mil-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in Fax No 07453-230244

क्रमांक -एफ( ) /उ.व.सं./2026-27/ 7263  
निमित्त :-

दिनांक 12-05-2026

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा।

विषय:- Diversion of 1.872 hac. of Forest land for Construction of road chorakhari  
to nayaganv via maheshpura FP/RJ/ROAD/34657/2018

प्रसंग:- राजकाज Ref. No. 22081850 दिनांक 08-05-2026 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान द्वारा चाही गई निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न  
कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(बड़े विवेकानन्द माणिकराव)

उप वन संरक्षक,  
बारां

क्रमांक -एफ( ) /उ.व.सं./2026-27/ 7264

प्रतिलिपि:- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक 12-05-2026

उप वन संरक्षक,  
बारां

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

## निरीक्षण रिपोर्ट

विषय:- Chorakhari to Nayaganv via Maheshpura सडक निर्माण कार्य।

Proposal No. FP/RJ/ROAD/34657/2018

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 11.05.2026 को चौराखाडी से नयागांव सडक निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/34657/2018 के सम्बन्ध में रेंज शाहाबाद अधीन वनखण्ड भैंसाघाट-ए का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तावित 1.872 किमी लम्बाई की प्रस्तावित सडक निर्माण के स्थान पर लगभग 3-4 टुकड़ों में खरंजा निर्माण का कार्य होना पाया गया। उक्त निर्माण कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघन की श्रेणी में आता है।

अतः निरीक्षण रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(बडे विवेकामन्द माणिकराव)  
उप वन संरक्षक,  
बारां



Latitude: 25.358733  
Longitude: 77.269958  
Elevation: 315.05±3.96 m  
Accuracy: 5.815 m  
GPSTime: Mon 11-05-20265:42 pm  
Note: चौराखाड़ी रोड से वाया नयागांव

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mil-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in Fax No 07453-230244

क्रमांक -एफ( )FCA/उ.व.सं./2025-26/7304

दिनांक 13/05/2026

## Action Taken Report

निमित्त :-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान जयपुर।

विषय:- Chorakhari to Nayaganv via Maheshpura सड़क निर्माण कार्य के  
सम्बन्ध में। (Proposal No. FP/RJ/ROAD/34657/2018)


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 11.05.2026 को चौराखाडी से नयागांव सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/34657/2018) के सम्बन्ध में रेंज शाहाबाद अधीन वनखण्ड भैंसाघाट-ए का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण के स्थान पर लगभग 0.0648 है० क्षेत्र पर पक्के खरंजा निर्माण का कार्य होना पाया गया। उक्त निर्माण कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद, जिला बारां एवं नाक प्रभारी बिलखेड़ा डांग, रेंज शाहाबाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-02 एवं सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन होने के कारण इस प्रकरण की जांच प्रकियाधीन है। जांच पूर्ण होने के उपरांत इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

अतः कार्यवाही रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान को प्रेषित है।

संलग्न:- कारण बताओ नोटिस।

  
(बडे विवेकानन्द माणिकराव)  
उप वन संरक्षक,  
बारां

क्रमांक -एफ( ) FCA/उ.व.सं./2025-26/

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सुचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

उप वन संरक्षक,  
बारां

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mil-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in Fax No 07453-230244

क्रमांक -एफ( ) /उ.व.सं./2026-27/ 7260

दिनांक 12-05-2026

निमित्त :-

अधिशायी अभियंता  
सा.नि.वि. खण्ड  
शाहाबाद, जिला बारां।

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं सम्बन्धित नियमों के उल्लंघन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 11.05.2026 को चौराखाडी से नयागांव सडक निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/34657/2018 के सम्बन्ध में रेंज शाहाबाद अधीन वनखण्ड भैंसाघाट-ए का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तावित सडक निर्माण के स्थान पर खरंजा निर्माण का कार्य होना पाया गया। उक्त निर्माण कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं सम्बन्धित नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

यदि उक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पूर्व किया गया है, तो इसका स्पष्टीकरण इस कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत करें।

(बडे विवेकानन्द माणिकराव)

उप वन संरक्षक,  
बारां

क्रमांक -एफ( ) /उ.व.सं./2026-27/ 7261

दिनांक 12-5-2026

प्रतिलिपि:- संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,  
बारां

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mil-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in Fax No 07453-230244

क्रमांक -एफ( ) /उ.व.सं./2026-27/ 7252

दिनांक 12-05-26

निमित्त :-

मुकेश कुमार सहरिया  
नाका प्रभारी, बीलखेडा डांग,  
रेंज शाहाबाद।

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं सम्बन्धित नियमों के उल्लंघन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 11.05.2026 को चौराखाडी से नयागांव सडक निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/34657/2018 के सम्बन्ध में रेंज शाहाबाद अधीन वनखण्ड भैंसाघाट-ए का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तावित सडक निर्माण के स्थान पर खरंजा निर्माण का कार्य होना पाया गया। उक्त निर्माण कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं सम्बन्धित नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

उक्त अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन होना आपकी राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है। उक्त लापरवाही के लिए क्यो ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे इसका स्पष्टीकरण अन्दर 7 दिवस अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

(बडे विवेकानन्द माणिकराव)  
उप वन संरक्षक,  
बारां  
दिनांक

क्रमांक -एफ( ) /उ.व.सं./2026-27/

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय वन अधिकारी, शाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,  
बारां